

D-63

जप्ती पत्रक

दिनांक व समय जप्ती

- 19.02.2015 के 20.20 बजे

जप्ती स्थान

- एस.डब्ल्यू.सी. तखतपुर का गोदाम कमांक-7 तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।

किसके द्वारा पेश करने पर

- श्री अनूप मिश्रा पिता श्री एम.पी. मिश्रा उम्र 30 वर्ष, शाखा प्रबंधक एस.डब्ल्यू.सी. तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

उपस्थित नॉन के अधिकारी का नाम -

श्री सूर्यकांत शुक्ला पिता स्व. श्री सी.डी. शुक्ला उम्र 51 वर्ष, वरिष्ठ सहायक नागरिक आपूर्ति निगम तखतपुर, मुख्यालय बिलासपुर, (छ.ग.)

जप्तकर्ता अधिकारी

- निरीक्षक अजितेश सिंह एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

जप्ती साक्षी

(1) श्री विनय कुमार दीक्षित पिता स्व. श्री ठाकुर प्रसाद दीक्षित उम्र 58 वर्ष, प्रबंधक क्वालिटी कंट्रोल एफ.सी.आई. बिलासपुर (छ.ग.)
(2) श्री इस्तियाक अहमद पिता श्री मुस्ताक अहमद उम्र 28 वर्ष, तकनीकी सहायक क्वालिटी कंट्रोल बिलासपुर (छ.ग.)

विवरण

आज दिनांक 19.02.2015 को उक्त समय पर एस.डब्ल्यू.सी. तखतपुर के गोदाम कमांक-7, तखतपुर, में नॉन द्वारा संग्रहित अमृत नमक के पैकेट जो कि गोदाम के स्टेक नंबर -12 में रखे हुए हैं में से चारों कोनों से एक-एक अमृत नमक के पैकेट का सेम्पल निकाला गया। जिसमें छत्तीसगढ़ अमृत नमक पैकिंग माह 1/2015 बैच नंबर 01, नेट वेट 1 कि.ग्रा. लिखा हुआ है। उक्त निकाले गये सेम्पल पैकेटों में से दो-दो पैकेट को कपड़े के दो अलग-अलग थैलों में डालकर साक्षियों के एवं स्वयं के हस्ताक्षर वाली पर्ची को थैले में डालकर उक्त साक्षियों के समक्ष उक्त दोनों थैलों को शाखा प्रभारी श्री अनूप मिश्रा के द्वारा पेश किये जाने पर जप्त कर सीलबंद किया गया।

हस्ताक्षर साक्षी

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(1) ----- जिसके द्वारा पेश किया गया नॉन के अधिकारी का जप्तकर्ता

(2) -----

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थाली)
निरीक्षक एस.डी.देवस्थाली ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)